

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ |

लाजिस्टिक्स इकाई, सिंगोचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030) ई-मेल आईडी-0-logisticoffice4@gmail.com

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-151 / 2023 दिनांक: लखनऊ : जून 3, 2024

## आदेश

उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 4/2024/417/सैतालीस-का-1-2024-13 (2)/2024 दिनांक 10-05-2024 द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125(14)/2018 दिनांक 10-01-2024 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(31)-2023 दिनांक 01-01-2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2023 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 10-01-2024 के कम में 31 मई, 2024 को 03 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

| सूची का क्रमांक | वरिष्ठता क्रमांक | पीएनओ सं0 | कार्मिक का नाम | पिता का नाम        | नियुक्ति स्थान     | चयन वर्ष |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|----------|
| 149             | 211              | 980700091 | मनवर खान       | श्री मौ0 आकिल खान  | मेरठ               | 2023     |
| 150             | 212              | 980700150 | खुशीराम        | श्री सत्यवीर सिंह  | कमिशनरेट गाजियाबाद | 2023     |
| 151             | 213              | 880740326 | सहन्सरपाल      | श्री महेन्द्र सिंह | कमिशनरेट गाजियाबाद | 2023     |

2- पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।


4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6— आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप—क



(राजेश्कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक—लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :—

1. पुलिस आयुक्त कमिशनरेट गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

## स्व-घोषणा-पत्र

(नाम/पदनाम व पीएनओ)

|                                     |        |                                |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|
| मैं-                                | नियासी |                                |
| पुत्र                               |        |                                |
| थाना                                | जनपद   | वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) |
| नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:- |        |                                |

- (क) 'मेरे विलहू उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय व्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में खिलाकिसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

ठस्टाक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विलहू उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय व्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विलहू उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विलहू मु०आ०सं० द्वारा आरोप-पत्र ना० व्यायालय में दिनांक द्वारा आरोप-पत्र दिया गया है तथा अधिकारी जनपद में लम्बित है, जिसमें दिनांक पुलिस अथवा जॉच एजेंसी में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग स्तर पर चल रहा है।

ठस्टाक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित  
जनपद/इकाई के प्रभारी  
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काठ (X) दिया जाय।